



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या- 2453 सन् 2026

विकास कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रोहित कुमार सिंह

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रोहित कुमार सिंह और राज्य उत्तरदातागण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद में एक बयान दिया है कि दिनांक 08.10.2025 के निलंबन आदेश को 09.02.2026 को रद्द कर दिया गया है, यद्यपि, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध उन आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है जो आपराधिक मामले से संबंधित हैं। यद्यपि, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता ने आरोप-पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया है, यद्यपि, वह सभी विधिक और तथ्यात्मक आधार लेगा और प्राधिकारी को पहले इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस पर विवाद नहीं कर सके।

4. प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जा रहा है। रिट याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह के लिए जांच में भाग लेगा और जांच अधिकारी के समक्ष सभी विधिक और तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करे, और इसमें यह आधार भी शामिल है कि विभागीय जांच उन आरोपों के आधार पर नहीं की जा सकती है जो आपराधिक मामले में भी समान हैं और यदि ऐसा आधार लिया जाता है, तो न्यायालय के पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है अतः इस पर अत्यंत शीघ्रता से विचार किया जाएगा।

5. आज दायर किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट क के रूप में चिह्नित किया जाता है।

फ़रवरी 23, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"